फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःअठ्ठारह–एएसआई(लिपिक)271–2024 दिनांकःलखनऊः ~~जुलाई~~ अगस्त 02 ,2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी–चार–10(37)/2024 दिनॉकः26.07.2024 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 51 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 51 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में दिनॉकः31.07.2024 तक पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) की 26 रिक्तियॉ विद्यमान है, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 25 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह अगस्त–2024 से जून–2025 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 26 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	922760336	शशिकान्त श्रीवास्तव	स्व0 ध्रुवजी लाल श्रीवास्तव	12–07–1973	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ	2024
2	14	932027511	विपिन कुमार	स्व0 महेन्द्र पाल सिंह	16–09–1969	बदायूँ	2024
3	20	960980028	विनोद कुमार सक्सेना	स्व0 श्री राधे श्याम सक्सेना	04–08–1969	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
4	25	972320016	हरिमोहन शर्मा	स्व0 विष्णुदेव राय	01–05–1973	लखनऊ	2024
5	30	972480796	रविशंकर त्रिपाठी	स्व0 श्री हरिचरण त्रिपाठी	25–07–1975	04वीं वाहिनी यूपीएसएसएफ,मथुरा	2024
6	40	972463009	जगनरायन	स्व0 रामरती गौड़	01–01–1976	जनपद भदोही	2024
7	41	972640541	श्यामबीर सिंह	श्री साहब सिंह	10–09–1973	मथुरा	2024
8	57	992290087	विनोद कुमार	स्व0 का0 रनवीर सिंह	30–06–1978	जनपद मेरठ	2024
9	62	000800017	आरिज हुसैन	स्व0 वासित हुसेन	06–01–1971	ई0ओ0डब्लू0 मुख्यालय, उ0प्र0,	2024
10	63	002080039	मन्जू सिंह	स्व0 उदय भान सिंह	12–11–1967	अम्बेडकरनगर	2024
11	66	000920012	देवेन्द्र कुमार	स्व0 राम छबीला प्रसाद	20–08–1980	महराजगंज	2024

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
12	69	000950015	राज नारायण पटेल	स्व0 जगन्नाथ पटेल	29-03-1973	पीएसी मुख्यालय	2024
13	75	002030119	रमेश सिंह यादव	स्व0 राधेश्याम सिंह	01-07-1977	कौशाम्बी	2024
14	85	932460822	ओम प्रकाश मिश्रा	पारश नाथ मिश्रा	01-06-1970	02वीं वाहिनी वि0सु0बल गोरखपुर	2024
15	90	012770058	श्रीमती संजू साहनी	इन्द्रजीत साहनी	04-08-1980	सुरक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	2024
16	91	012460856	श्रीमती प्रेमलता दुबे	पत्नी स्व0 अरविन्द कुमार दूबे	01-01-1976	कमि0 प्रयागराज	2024
17	92	012680014	अजय कुमार सिंह	स्व0 अमरेश सिंह	10-08-1978	सीतापुर	2024
18	94	011090029	संगीता रानी	पत्नी श्री सुधीर कुमार त्यागी	18-12-1969	हापुड	2024
19	104	022450034	शैलेन्द्र नाथ तिवारी	श्री त्रिभुवन नाथ तिवारी	01-04-1967	पीएसी मुख्यालय	2024
20	105	012320455	मुन्नी उर्फ कालिन्दी	स्व0 जगदम्बा प्रसाद	02-07-1972	बलरामपुर	2024
21	107	022330013	जसवीर सिंह	स्व0 श्री सुलेख चन्द चौहान	10-07-1980	परिक्षेत्र कार्यालय, मेरठ	2024
22	113	020500056	राजीव यादव	स्व0 रघुनन्दन यादव	30-03-1979	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
23	115	022240024	श्रीमती अनीता	स्व0 श्री मुन्शी लाल	10-03-1975	मैनपुरी	2024
24	118	022500032	श्रीमती सुनीता सिंह	श्री नरसिंह बहादुर सिंह	15-04-1980	20वीं वाहिनी आजमगढ़	2024
25	119	022250025	दिवाकर पाण्डेय	स्व0 बंशराज पाण्डेय	01-04-1981	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
26	127	022100014	राजाराम शुक्ला	स्व० राम बदन शुक्ल	01-08-1969	आईजी रेलवे कार्यालय प्रयागराज	2024

2— पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के फलस्वरूप परिवर्तित हो गया हो तो सम्बन्धित कर्मी अपने नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली—2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89—का—1—1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉं विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉं विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नकः</u> प्रारूप (क)

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ/ई0ओ0डब्लू0/पीएसी/सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ/रेलवे।
4.पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ/प्रयागराज।
5.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक,उ0प्र0।
7.पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज।
8.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बदायूं/भदोही/मथुरा/मेरठ/अम्बेडकरनगर/महाराजगंज/कौशाम्बी/सीतापुर/हापुड़/बलरामपुर/मैनपुरी।
9.सेनानायक, 04वीं वाहिनी यूपीएसएसएफ मथुरा।
10.सेनानायक, 02वीं वाहिनी विशेष सुरक्षाबल गोरखपुर।
11.सेनानायक, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)——————————————————————————————पुत्र ——————————निवासी——————————थाना——————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)——————————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा——————————————————थाना——————————

जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।